न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 294/2023 (धारा 76 भू–राज0अधि01956) (RCMS No.2023/319)

सतीश श्रीवास्तव पुत्र स्व0 श्री मुक्तिनाथ श्रीवास्तव निवासी स्टेट वेयर हाउस के पास जटवाडाखुर्द मानटाउन जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार सवाईमाधोपुर।
2. श्रीमान जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर।

..... रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर मु0नं0 177/2017 सतीश श्रीवास्तव बनाम सरकार निर्णय दिनांक 31.07.2019 (75 एल आर एक्ट) व तहसीलदार सवाई माधोपुर निर्णय प्रकरण संख्या 872/2017 दिनांक 14.11.2017 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

श्री गिर्राजसिंह गुर्जर वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2024

उक्त द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 31.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधापुर ने आदेश दिनांक 14.11.2017 से सम्वत 2074 फसल खरीफ में ग्राम जटवाडा खुर्द की सिवायचक भूमि आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.15 है0 पर अपीलान्ट को उक्त विवादित आराजी पर चद्दरपोश दो कमरे एवं एक बिना छत का कमरा बनाकर तथा बाड लगाकर अवैध कब्जा करने/अतिक्रमी मानते हुये 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित किये जाने के आदेश पारित किये गये है साथ ही अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। तहसीलदार सवाईमाधोपुर के इस आदेश दिनांक 14.11.2017 की अपील तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष की गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2019 पारित कर अपील अपीलान्ट खारिज की गई तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर का निर्णय दिनांक 14.11.2017 यथावत रखा गया। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.07.2019 के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की ओर से प्रकरण में लिखित बहस पेश की गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए लिखित बहस पेश करते हुए तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2017 व 31.07.2019 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट एक पूर्व सैनिक एवं भूमिहीन है। अपीलान्ट का पटवार हल्का ठींगला के जटवाडाखुर्द में खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 है0 पर बाप दादाओं के समय से लगभग 45 सालों से कब्जा चला आ रहा है, जहां पर अपीलान्ट ने बडी संख्या में पर्यावरण सरंक्षण एवं संवर्धन के लिये विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाये है एवं उनकी रक्षा व सुरक्षा भी की जा रही है। अपीलान्ट व अपीलान्ट का परिवार जीवन यापन के लिये पशुपालन भी करता है। इसलिऐ सर्दी गर्मी बरसात प्राकृतिक आपदाओं से पशुओं को बचाने के लिये एवं उनके रहने के लिये चारा आदि रखने के लिये बाडे कमरा आदि बना रखे हैं एवं स्वयं के रिहायशी मकानात भी मौके पर बने हुये हैं। चारों ओर पक्की बाउण्ड्री एवं तार फेसिंग पूर्व से ही की गई है। इसलिऐ अपीलान्ट विवादित आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 है0 स्थित ग्राम जटवाडाखुर्द की एडवर्स पजेशन के आधार पर आवंटन/नियमन करने का अधिकारी था। इसके अलावा बाकी खाली पडी भूमि है और उसमें वृक्ष आदि लगे हुये है जो पशुओं के चरने के काम आती है। उक्त भूमि आबादी एवं नगर परिषद क्षेत्र में आती है जो कि तहसील में नगर परिषद और नगर परिषद से हस्तान्तरित होकर वर्तमान में यू0आई0टी0 सवाईमाधोपुर के नाम है, जो कि पूर्व में नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 19.0.2014 जरिये आदेश सिवायचक लगानी एवं चारागाह के बजाय नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के नाम स्वीकार हुआ था। अपीलान्ट पूर्व सैनिक एवं भूमिहीन है, इसलिऐ अपीलान्ट ने भूमि को अपने पक्ष में आवंटन/नियमन करवाने हेतु लगातार प्रयास किये व आज भी प्रयासरत है। अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया है कि जो कि विशेष रूप से न्यायालय जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर ने अपने निर्णय दिनांक 31.07.2019 में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा दिनांक 14.10.2019 में लिखा है कि अधीनस्थ तहसीलदार यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2017 एवं दिनांक 14.11.2017 को दिये गये निर्णय के समय यू0आई0टी0 सवाईमाधोपुर का चार्ज तत्कालीन तहसीलदार सवाईमाधोपुर श्री मक्खन लाल मीना के पास था जबकि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधि0 2005 के तहत दिनांक 21.08.2019 एवं दिनांक 22.08.2019 के आवेदन पर कार्यालय नगर विकास न्यास सचिव द्वारा जबाब दिया गया कि दिनांक 1.09.2017 से 01.12.2017 तक न्यास में स्थायी रूप से तहसीलदार पद पर कोई अधिकारी कार्यरत नहीं रहा न ही जिला कलक्टर द्वारा किसी अधिकारी को कार्यभार दिया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.10.2017 मिसिल नं0 872/2017 उनवानी सरकार बनाम सतीश था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में काटपीट कर निर्णय दिनांक 14.11.2017 अंकित कर दिया। इस बाबत तहसीलदार के विरूद्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण की जांच के आदेश दिये थे जिसमें थाना अधिकारी थाना मानटाउन द्वारा जांच की गई। जॉच में तहसीलदार के विरूद्ध काट–छांट कर

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय में गैर कानूनी तरीके से लिखा हुआ मानते हुए अपीलान्ट को जानबूझ कर नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। इस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार की ओर से पारित निर्णय को नल एण्ड वॉईड माना जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट पूर्व सैनिक है एवं भूमिहीन व्यक्ति है जिसको रिहायशी एवं कृषि कार्यों हेतु भूमि आवंटन का प्रावधान है। अपीलान्ट भूमिहीन की श्रेणी में आता है जबकि अपीलान्ट का मौके पर कब्जा है। इसलिऐ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट अमल में लायी गई थी। मौके पर रिहायशी मकानात बने हुये है। जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित रहकर पशुपालन, वृक्षारोपण, पशुचारा आदि लगाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा जो गैर कानूनी कार्यवाही की गई थी। उसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को दिनांक 03.11.2017 को कार्यवाही ड्रॉप करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक 4770 दिनांक 03.11.2017 द्वारा तहसीलदार को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये थे, विवादित आराजी खसरा नमबर 436 रकबा 0.10 है0 यू0आई0टी0 सवाईमाधोपुर के नाम थी जिस पर तहसीलदार स0मा0 को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं था।

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि विवदित आराजी के संबध में प्रकरण सविल न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। जिसकी सिविल अपील संख्या 113/2020 उनवान सतीश बनाम सरकार जो कि वर्तमान में उच्च न्यायालय राज0 जयपुर में विचाराधीन है। तहत अदालत ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया है कि न्यायालय श्रीमान तहसीलदार द्वारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही के दौरान प्रकरण सिविल न्यायालय स0मा0 एवं राजस्व न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर स0मा0 के यहां विचाराधीन था जिसमें दिनांक 09.10.2017 को क्रमांक 872/2017 हल्का पटवारी ठींगला द्वारा मौके पर विवादित आराजी पर 2 कमरे बने हुये है, बिजली कनैक्शन, ट्यूबबैल लगा हुआ है व बाउण्ड्री बाल एवं तार फेसिंग की गई है। रकबा 0.15 है0 पर अपीलान्ट का कब्जा बताया है। अपीलान्ट की अपील जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के यहां विचाराधीन थी। उसी दौरान जिला कलक्टर स0मा0 ने तहसीलदार स0मा0 से मौके की रिपोर्ट मंगवायी जिस पर पटवारी हल्का ठींगला द्वारा दिनांक 13.04.2018 की मौका रिपोर्ट मंगायी गई जिसमें विवादित आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 है0 पर अपीलान्ट द्वारा बाउण्ड्रीबाल करके 2 पक्के कमरे बनाना एवं पशु बांधने का बाडा, मौके पर पानी की टंकी एवं करीबन 50 बकरियां मौके पर मिली। ऐसा मौका रिपोर्ट में लिखा है। ऐसा अपीलान्ट का पूर्वजों से ही कब्जा है। विवादित आराजी में परिवार सहित रहता है। पशुपालन आदि कार्य करके अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अपीलान्ट ने वहां पर बडै पैमाने पर पूर्वजों के समय से वृक्षारोपण किया हुआ है। अपीलान्ट के पूर्व सैनिक होने एवं उक्त आराजी पर कब्जा होने के कारण विवादित आराजी के आवंटन व नियमन करने हेतु समय समय पर अपने विभाग के सैनिक कल्याण अधिकारी एवं राज्य सरकार के स्तर पर लिखित व मौखिक निवेदन किया जो कि लगातार जारी है। इस बाबत दिनांक 04.03.2002 को पत्र कमांक 4027/28 द्वारा उप जिला कलक्टर स0मा0 को विवादित आराजी को आवंटन एवं नियमन करने हेतु लिखा गया। इस पर लगातार

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

कार्यवाही होती रही। इसी संदर्भ में दिनांक 26.12.2017 कार्यालय जिला कलक्टर स0मा0 द्वारा पत्र क्रमांक 16/6806 दिनांक 26.12.2017 को सचिव यू0आई0टी0 सवाईमाधोपुर को पेराफेरी क्षेत्र में होने के कारण अपीलान्ट के पक्ष में नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु लिखा गया। विवादित आराजी वर्ष 2017 में राजस्व रिकार्ड में यू0आई0टी0 सवाईमाधोपुर के नाम दर्ज थी, इसलिऐ खसरा नम्बर 436 स्थित ग्राम जटवाडा खुर्द पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार तहसीलदार स0मा0 को नहीं था। इस बाबत जिला कलक्टर स0मा0 द्वारा दिनांक 31.07.2019 को अपने निर्णय में इन्द्राज किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 है0 पर कार्यवाही करते समय यू0आई0टी0 का चार्ज अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मक्खन लाल मीना के पास था जबकि श्रीमान मक्खन लाल मीना मात्र नायब तहसीलदार की हैसियत से सवाईमाधोपुर तहसील में अस्थाई रूप से कार्यरत थे। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर महोदय सवाईमाधोपुर ने राजस्व रिकार्ड सहित तहसीलदार के चार्ज संबधी रिकार्ड की सही तथ्यों की जानकारी लिये बिना तहसीलदार स0मा0 के निर्णय पर गौर नही कर के झूठे तथ्यों पर आधारित निर्णय कर दिया जिसमें अपीलान्ट के अधिकारों का गम्भीर हनन हुआ है एवं न्याय से वंचित किया गया है। विधिक प्रकिया की पालना नहीं की गई है। दस्तावेजों के विरूद्ध जाकर निर्णय किया है। जबकि तहसीलदार सवाई माधोपुर जिन्होंने रजिंशवश बदले की भावना से प्रेरित होकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जबकि अधीनस्थ तहसीलदार के पास यू0आई0टी0 से संबधित कोई कार्यभार नहीं था एवं मात्र पैरोकार राजस्व के कथन पर अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही करते समय यू0आई0टी0 का चार्ज भी तहसीलदार श्री मक्खनलाल मीना के पास था। जबकि इसके समर्थन में पैरोकार राजस्व की ओर से मौखिक कथन के अलावा कोई दस्तावेज या तहसीलदार द्वारा यू0आई0टी0 का चार्ज होने संबधी कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय की बहुत गम्भीर भूल है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 14.11.2017 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 निरस्त किया जावे तथा विवादित खसरा नम्बर 436 रकबा 0.10 है0 स्थित ग्राम जटवाडा खुर्द जिला सवाई माधोपुर का आवंटन/नियमन अपीलान्ट के पक्ष में किये जाने के आदेश जारी किये जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विरूद्ध खसरा नंबर 436 रकबा 0.64 है0 के 0.20 है0 भूमि में बाढ़ लगाकर कब्जा, चद्दपोश व 2 कमरे 1 बिना छत का कमरा व बिजली कनेक्शन युक्त ट्यूबबैल का अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सवाई माधोपुर को पेश किये जाने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से अपीलान्ट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दिनांक 26.10.2017 को उपस्थित होकर पक्ष रखने की अपेक्षा की गई थी। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्ट पर असालतन हुई व नियत पेशी पर अदालत मातहत में उपस्थित होकर इस आशय का जवाब पेश किया गया है कि इस भूमि का नियमन/आवंटन करने हेतु प्रकरण न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहां विचाराधीन है। अतः प्रार्थी को 10 दिवस का समय देने की कृपा करें

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

31.1.2020
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ताकि प्रार्थी अपील के साक्ष्य प्रस्तुत कर सके। इस पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा 10 दिवस का समय दिया गया। अपीलान्ट की ओर से दिनांक 31.10.2017 को इस आशय का जवाब पेश किया गया कि खसरा नंबर 436 का प्रकरण पूर्व से ही न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहां विचाराधीन है। प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक है तथा उक्त भूमि के आवंटन/नियमन के लिए प्रयासरत है। इस बाबत जिला प्रशासन व राज्य सरकार को निवेदन किया गया है। मामला जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के यहां विचाराधीन होने के कारण नोटिस की कार्यवाही ड्रॉप की जावे। जवाब के साथ जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में लम्बित पत्रावली की आदेशिका की फोटोप्रतियां भी प्रस्तुत की गई। इसके बाद दिनांक 07.11.2017 को पुनः साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। जिसके साथ जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से लिखे गये पत्र क्रमांक 4770 दिनांक 03.11.2017 की प्रति व अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। अगली नियत पेशी दिनांक 14.11.2017 को अपीलान्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का के बयान लिए गए। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट का विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने व पूर्व के वर्ष में भी अतिक्रमण होने के कारण भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का उल्लेख किया गया। इसके बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2017 को पारित किया गया। जिसमें अपीलान्ट का ग्राम जटवाड़ा खुर्द की सिवायचक भूमि खसरा नंबर 436 रकबा 0.15 है0 पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखल करने व 50 गुना शास्ती राशि आरोपित करते हुए पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपील पेश किये जाने पर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2019 को पारित किया है। जिसमें यह माना है कि अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया है। जिसकी पुष्टि अपीलान्ट द्वारा नियत दिनांक 26.10.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब, नोटिस व साक्ष्य सबूत हेतु समय चाहने बाबत व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर किये गये हस्ताक्षरों से हो जाती है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.10.2017 को निर्णय होना बताया गया है, जो केवल लिपिकिय त्रुटिवश गलत दिनांक अंकित हुई है। मुताबिक आदेशिका वास्तविक निर्णय दिनांक 14.11.2017 को पारित हुआ है। अपीलाधीन निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि तत्समय यूआईटी का चार्ज तहसीलदार सवाई माधोपुर के पास होने के कारण धारा 91 की कार्यवाही करने के लिए सक्षम था। इस आधार पर तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा पारित विधिसम्मत आदेश में किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होना माना है। तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गई मौका रिपोर्ट के अनुसार तत्समय भी अपीलान्ट का कब्जा यथावत होने के आधार पर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है, क्योंकि उक्त आदेश अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पारित किया गया है। जहां तक अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस के

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

साथ प्रस्तुत किये गये विभिन्न दस्तावेजात का प्रश्न है तो स्वयं अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर वर्षों से कब्जा होने का तथ्य स्वीकार किया है। विवादित भूमि सिवायचक भूमि है तथा सिवायचक भूमि पर किये गये अतिक्रमण के संबंध में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार/नायब तहसीलदार सक्षम है तथा पश्चातवर्ती अतिचारी होने पर 3 माह तक के सिविल कारावास की सजा से दण्डित भी किये जाने का प्रावधान है। विवादित भूमि पर वर्षों से कब्जा होने के तथ्य को स्वयं अपीलान्ट द्वारा स्वीकार किया गया है तथा विवादित भूमि से पूर्व में बेदखल किये जाने का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। जहां तक अपीलान्ट को विवादित भूमि का आवंटन/नियमन किये जाने का प्रश्न है तो जब तक विवादित भूमि का आवंटन/नियमन अपीलान्ट के पक्ष में नहीं हो जाता है तब तक राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत किये जाने वाली कार्यवाही को रोके जाने का आदेश दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी धारा 91 के तहत की जाने वाली कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है। जिसमें अतिक्रमी को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद तहसीलदार/नायब तहसीलदार द्वारा विधिवत निर्णय पारित किया जाता है। उपरोक्त प्रकरण में भी अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर तहसीलदार सवाई माधोपुर के द्वारा दिये जाने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। इसी आधार पर विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलान्ट की ओर प्रस्तुत अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.07.2019 के द्वारा अपील खारिज की है। इसलिए उक्त दोनों निर्णयों में कोई त्रुटि नजर नहीं आती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.11.2017 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 31.07.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज लिखाया जाकर दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर